

**वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमान पर
वित्त सचिव का स्मृति पत्र**

बजट का सार :- निम्नलिखित विवरण वर्ष 2000 -01 के लेखे, वर्ष 2001-02 का बजट अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान और वर्ष 2002-03 का बजट अनुमान दर्शाता है ।

(जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, आंकड़े करोड़ रूपये में)

क्रमांक	शीर्ष	2000-2001 लेखा (5 माह)	2001-2002 बजट अनुमान	2001-2002 पुनरीक्षित अनुमान	2002-2003 बजट अनुमान
I	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	1882.92	4671.31	4739.13	5384.46
1	कर राजस्व (केन्द्रीय आयकर का हिस्सा सहित)	803.78	2423.64	2371.37	2745.91
2	कर भिन्न राजस्व	288.23	744.20	775.94	873.39
3	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में राज्य का अंश	455.85	727.61	727.61	863.38
4	केन्द्र से सहायता अनुदान	335.06	775.86	864.21	901.78
II	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	-238.01	865.64	987.75	1221.23
5	उधार एवं अग्रिम की वसूली	0.72	22.57	22.57	23.51
6	शुद्ध लोक ऋण	158.33	720.93	758.92	973.54
7	लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियां	-397.06	122.14	206.26	224.18
III	कुल प्राप्तियां (I+II)	1644.91	5536.95	5726.88	6605.69
IV	आयोजनेत्तर व्यय (8+10+11+12)	1348.31	4172.70	3901.70	4482.05
8	राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान सम्मिलित)	1268.47	4134.98	3869.07	4467.98
9	ब्याज भुगतान	285.92	866.28	832.93	879.55
10	पूंजीगत व्यय	-0.62	17.37	21.26	2.38
11	ऋण एवं अग्रिम	40.46	20.35	11.37	11.69
12	आकस्मिकता निधि में विनियोजन	40.00	0.00	0.00	0.00
V	आयोजना व्यय (13+14+15)	517.29	1531.81	1929.78	2376.47

13 राजस्व व्यय	292.88	915.70	1236.67	1412.02
14 पूंजीगत व्यय	221.13	558.57	642.60	917.37
15 ऋण एवं अग्रिम	3.28	57.54	50.51	47.08
VI कुल व्यय (IV+V)	1865.60	5704.51	5831.48	6858.52
VII राजस्व व्यय (8+13)	1561.35	5050.68	5105.74	5880.00
VIII पूंजीगत व्यय (10+14)	220.51	575.94	663.86	919.75
IX ऋण एवं अग्रिम (11+15)	43.74	77.89	61.88	58.77
X राजस्व घाटा (I-VII)	321.57	-379.37	-366.61	-495.54
XI राजकोषीय (वित्तीय) घाटा (I+5-VI)	18.04	-1010.63	-1069.78	-1450.55
XII प्राथमिक घाटा (I+5)-(VI-9)	303.96	-144.35	-236.85	-571.00

2. सामान्य स्थिति का संक्षेप -

विवरण	2000-2001	2001-2002	2001-2002	2002-2003
	लेखा (5 माह)	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
क. प्रारंभिक शेष	0.00	-87.04	-192.87	-297.47
ख. संचित निधि				
एक. राजस्व प्राप्तियां				
(क) कर राजस्व	803.78	2423.64	2371.37	2745.91
(ख) करेतर राजस्व	288.23	744.20	775.94	873.39
(ग) संघ उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	455.85	727.61	727.61	863.38
(घ) केन्द्र से सहायक अनुदान	335.06	775.86	864.21	901.78
योग - एक	1882.92	4671.31	4739.13	5384.46
दो. राजस्व व्यय				
(क) आयोजना	292.88	915.70	1236.67	1412.02
(ख) आयोजनेतर	1268.47	4134.98	3869.07	4467.98
योग - दो	1561.35	5050.68	5105.74	5880.00
आधिक्य (+)/घाटा (-)	321.57	-379.37	-366.61	-495.54
तीन. पूंजी व्यय				
(क) आयोजना	221.13	558.57	642.60	917.37
(ख) आयोजनेतर	-0.62	17.37	21.26	2.38
योग - तीन	220.51	575.94	663.86	919.75
चार. लोक ऋण				
(क) प्राप्तियां	350.85	2109.46	2136.61	2371.53
(ख) संवितरण	192.52	1388.53	1377.69	1397.99
योग - चार (शुद्ध)	158.33	720.93	758.92	973.54

पांच - ऋण तथा अग्रिम

(क) प्राप्तियां	0.72	22.57	22.57	23.51
(ख) संवितरण				
(एक) आयोजना	3.28	57.54	50.51	47.08
(दो) आयोजनेतर	40.46	20.35	11.37	11.69
योग	43.74	77.89	61.88	58.77
योग - पांच (शुद्ध)	-43.02	-55.32	-39.31	-35.26
छः. आकस्मिकता निधि मे विनियोजन	-40.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध संचित निधि	256.37	-289.70	-310.86	-477.01
ग. आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	-52.18	0.00	0.00	0.00
घ. लोक लेखा				
(क) प्राप्तियां	4792.05	7162.40	14575.53	#####
(ख) संवितरण	5189.11	7040.26	14369.27	#####
योग घ (शुद्ध)	-397.06	122.14	206.26	224.18
वर्ष के शुद्ध लेन देन	-192.87	-167.56	-104.60	-252.83
ड. अंतिम शेष	-192.87	-254.60	-297.47	-550.30

3. राजस्व प्राप्तियां -

विवरण	2000-2001	2001-2002	2001-2002	2002-2003
	लेखा (5 माह)	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
(क) केन्द्रीय करों में हिस्सा -				
- आय कर	54.09	518.72	518.72	615.50
- संघ उत्पाद शुल्क	455.85	727.61	727.61	863.38
योग (क)	509.94	1246.33	1246.33	1478.88
(ख) राज्य कर				
- कर राजस्व	749.69	1904.92	1852.65	2130.41
- करेतर राजस्व	288.23	744.20	775.94	873.39
योग (ख)	1037.92	2649.12	2628.59	3003.80
(ग) केन्द्र शासन से सहायक अनुदान -				
- आयोजना भिन्न अनुदान	108.67	152.84	212.52	177.10
- राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	161.23	151.72	198.31	218.87
- केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिए अनुदान	31.70	408.85	381.08	410.99
- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए	33.46	62.45	72.30	94.82
योग (ग)	335.06	775.86	864.21	901.78
योग (राजस्व प्राप्तियां)	1882.92	4671.31	4739.13	5384.46

(क) पुनरीक्षित अनुमान एवं बजट अनुमान 2001-2002 में भिन्नता के कारण :-

1. राज्य कर प्राप्तियों में कमी मुख्यतः आबकारी शुल्क में कमी के कारण है ।
2. केन्द्र से सहायक अनुदान में वृद्धि आयोजना भिन्न अनुदान, राज्य की आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये अनुदान में वृद्धि के कारण है ।

(ख) पुनरीक्षित अनुमान 2001-2002 तथा बजट अनुमान 2002-2003 में भिन्नता के कारण

1. राज्य कर प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः वाणिज्यिक कर में एवं आबकारी शुल्क में वृद्धि के कारण है ।
2. केन्द्र से सहायक अनुदान में वृद्धि राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं व केन्द्र प्रवर्तित योजना के अनुदान में वृद्धि के कारण है ।
3. राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का प्रतिशत 13.61 है ।

4. राजस्व व्यय -

विवरण	2000-2001	2001-2002	2001-2002	2002-2003
	लेखा (5 माह)	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
आयोजना	292.88	915.70	1236.67	1412.02
आयोजनेतर	1268.47	4134.98	3869.07	4467.98
योग	1561.35	5050.68	5105.74	5880.00

(क) बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 2001-2002में भिन्नता के कारण :-

1. आयोजना में वृद्धि मुख्यतः केन्द्र शासन से प्राप्त सहायक अनुदान में वृद्धि के व्यय के प्रावधान के कारण है ।
2. आयोजनेत्तर व्यय में कमी इसलिए है क्योंकि वर्ष में मितव्ययता बरती गई एवं वेतन भत्तों में कम व्यय किया गया ।

(ख) पुनरीक्षित अनुमान 2001-2002 तथा बजट अनुमान 2002-2003 में भिन्नता के कारण

1. पुनरीक्षित अनुमान 2001-2002 से बजट अनुमान 2002-2003 में वृद्धि का प्रतिशत 15.16 है जिसका मुख्य कारण धान उपार्जन से संभावित क्षति पर व्यय के लिये प्रावधान व व्यय में सामान्य वृद्धि है ।

5. पूंजीगत व्यय -

विवरण	2000-2001	2001-2002	2001-2002	2002-2003
	लेखा (5 माह)	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
आयोजना	221.13	558.57	642.60	917.37
आयोजनेतर	-0.62	17.37	21.26	2.38
योग	220.51	575.94	663.86	919.75

(क) बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 2001-2002 में भिन्नता के कारण :-

1. आयोजना में वृद्धि राज्य के विकास कार्यों में बढ़ोत्तरी के कारण है ।
2. आयोजनेत्तर में वृद्धि लोक निर्माण के अमले में स्थायी पदों के निर्माण से हुए व्यय के कारण परिलक्षित हो रही है ।

(ख) पुनरीक्षित अनुमान 2001-2002 तथा बजट अनुमान 2002-2003 में भिन्नता के कारण

1. पूंजीगत व्यय के पुनरीक्षित अनुमान 2001-2002 तथा बजट अनुमान 2002-2003 में वृद्धि का प्रतिशत 38.54 है जिसका मुख्य कारण नये राज्य में विकास कार्यों के लिये अधिक व्यय का प्रावधान किया जाना है ।

6. लोक ऋण -

विवरण	2000-2001	2001-2002	2001-2002	2002-2003
	लेखा (5 माह)	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
प्राप्तियां				
(क) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण -				
- बाजार ऋण	70.04	162.00	162.00	250.00
- भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार	0.00	10.00	0.00	20.00
- भारतीय साधारण बीमा निगम से उधार	0.00	2.17	0.00	5.00
- नाबार्ड से उधार	19.04	84.62	50.00	100.00
- क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार	0.00	2.50	0.00	2.50
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से उधार	0.00	0.00	0.00	0.00
- अन्य उधार	0.00	0.00	0.00	0.00
- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	3.03	1200.00	1200.00	1200.00
- राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी राज्य प्रतिभूतियां	116.59	326.00	350.00	355.00
(ख) केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम -				
- आयोजना भिन्न उधार	11.90	15.13	16.41	19.52
- राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	130.23	282.60	333.60	389.11
- केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिए उधार	0.00	0.00	0.00	0.00
- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये उधार	0.00	24.45	24.60	30.40
- अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	350.83	2109.47	2136.61	2371.53

संवितरण

राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण -

- बाजार ऋण	0.00	13.70	13.67	15.21
- भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार	0.00	1.37	1.37	2.87
- भारतीय साधारण बीमा निगम से उधार	0.00	0.68	0.68	1.96
- नाबार्ड से उधार	12.30	27.30	27.30	18.64
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार	6.44	16.99	6.23	5.79
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से उधार	0.00	0.13	0.13	0.13
- क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्ड से उधार	0.01	0.00	0.01	0.01
- नेशनल केपीटल रीजन बोर्ड से उधार	0.00	0.00	0.00	0.00
- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	111.54	1200.00	1200.00	1200.00

केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम -

- आयोजना - भिन्न उधार	11.68	27.19	27.19	32.74
- राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	41.19	84.67	84.67	103.98
- केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिए उधार	0.38	0.56	0.51	1.04
- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये उधार	1.32	2.45	2.45	2.56
- अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
- 1984-85 के पहले के उधार	7.64	13.48	13.48	13.06

योग

192.50 1388.52 1377.69 1397.99

शुद्ध

158.33 720.95 758.92 973.54

(क) बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 2001-2002 में भिन्नता के कारण :-

1. लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः राज्य की आयोजनागत योजना के लिये केन्द्र सरकार से ऋण प्राप्तियों में वृद्धि के कारण है ।

(ख) पुनरीक्षित अनुमान 2001-2002 तथा बजट अनुमान 2002-2003 में भिन्नता के कारण

1. लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण राज्य के आंतरिक ऋण तथा राज्य की आयोजनागत योजना के लिये केन्द्र सरकार से ऋण प्राप्तियों में वृद्धि के कारण है ।

7. राज्य शासन द्वारा ऋण एवं अग्रिम -

विवरण	2000-2001	2001-2002	2001-2002	2002-2003
	लेखा (5 माह)	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
प्राप्तियां	0.72	22.57	22.57	23.51
संवितरण				
आयोजना	3.28	57.54	50.51	47.08
आयोजनेतर	40.46	20.35	11.37	11.69
योग	43.74	77.89	61.88	58.77

(क) बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 2001-2002में भिन्नता के कारण :-

1. राज्य शासन द्वारा सीधे ऋण स्वीकृत करने के स्थान पर संस्थाओ द्वारा ऋण लेने को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(ख) पुनरीक्षित अनुमान 2001-2002 तथा बजट अनुमान 2002-2003 में भिन्नता के कारण

1. राज्य शासन द्वारा विभागों को नये ऋण स्वीकृत करने के स्थान पर संस्थाओ द्वारा ऋण लेने को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

8. लोक लेखा

विवरण	2000-2001	2001-2002	2001-2002	2002-2003
	लेखा (5 माह)	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
शुद्ध प्राप्तियां	-397.06	122.14	206.26	224.18

(क) बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 2001-2002में भिन्नता के कारण :-

1. शुद्ध प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः केन्द्र सरकार से प्राप्त अनखर्ची राशियों के जमा लेखे में रखे जाने के प्रावधान के कारण है तथा गत 5 माह के सस्पेंस लेखों के समायोजन के कारण है ।
2. वर्ष 2000-2001 के पांच महीने में ऋणात्मक व्यय का मुख्य कारण सस्पेंस लेखों के समायोजन न होने के कारण है ।

(ख) पुनरीक्षित अनुमान 2001-2002 तथा बजट अनुमान 2002-2003 में भिन्नता के कारण

1. शुद्ध प्राप्तियों में वृद्धि का कारण केन्द्र सरकार से प्राप्त अनखर्ची राशियों के जमा लेखे में रखे जाने व सस्पेंस लेखों के समायोजन के कारण है ।

9. अन्तिम शेष -

विवरण	2000-2001	2001-2002	2001-2002	2002-2003
	लेखा (5 माह)	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
अन्तिम शेष	-192.87	-254.60	-297.47	-550.30

10. 2002-2003 में लेखे के विभिन्न क्षेत्रों के अधीन लेन-देनों के विस्तृत ब्योरे -

विवरण	प्राप्तियां	भुगतान	योग
राजस्व	5384.46	5880.00	-495.54
पूंजी	0.00	919.75	-919.75
लोक ऋण	2371.53	1397.99	973.54
ऋण तथा अग्रिम	23.51	58.77	-35.26
लोक लेखा	16067.97	15843.79	224.18
आकस्मिकता निधि में विनियोजन	0.00	0.00	0.00
वर्ष का कुल लेन देन	23847.47	24100.30	-252.83
प्रारंभिक शेष			-297.47
अंतिम शेष			-550.30

11. विशेष महत्व के तुलनात्मक आंकड़े

विवरण	2001-2002	2001-2002	2002-2003
	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
1. राज्य आयोजना - सामान्य	542.26	851.23	1050.75
2. आदिवासी उपयोजना	303.59	374.16	568.73
3. विशेष घटक योजना	110.85	128.32	164.88
4. प्रशासन के स्तरों का उन्नयन	0.00	0.00	0.00
5. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिये अलावा राशियां	48.54	48.56	58.30
6. विशेष घटक योजना के लिये अलावा राशियां	8.23	7.11	9.05
7. राज्य आयोजनागत योजनाओं का योग	1013.47	1409.38	1851.71

8. सार्वजनिक उपक्रमों के आंतरिक वित्तीय साधनों से परिपोषित योजना का भाग	0.00	0.00	0.00
9. योग राज्य आयोजना	1013.47	1409.38	1851.71
10. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	101.72	110.99	95.06
11. केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं	411.74	421.23	429.26
12. निगम प्रवर्तित योजनाएं	20.98	10.98	13.44
13. समस्त आयोजना योजनाओं का वृहद् योग	1547.91	1952.58	2389.47

12. आयोजना के लिये संसाधन

विवरण	2001-2002	2001-2002	2002-2003
	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
एक- राज्य संसाधन			
1. राजस्व से शेष	16.01	32.45	86.10
2. बाजार से ऋण (शुद्ध)	148.60	148.60	234.79
3. राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	84.62	50.00	100.00
4. सामान्य बीमा निगम से ऋण	2.17	0.00	5.00
5. अल्प बचतों में हिस्सा	326.00	350.00	355.00
6. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-508.64	-125.13	-50.35
7. अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध)	260.89	169.00	117.66
8. छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का अंशदान	5.00	5.00	20.00
9. जीवन बीमा निगम से स्थानीय निकायों के लिए ऋण	10.00	0.00	20.00
योग - एक	344.65	629.92	888.20

दो - केन्द्रीय सहायता

1. राज्य शासन को	501.27	674.85	710.68
2. छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल को	0.00	0.00	0.00
योग - दो	501.27	674.85	710.68
कुल संसाधन	845.92	1304.77	1598.88
आयोजनागत परिव्यय	1013.47	1409.38	1851.71
संसाधनों में ह्रास / सुधार	-167.55	-104.61	-252.83
प्रारंभिक शेष	-87.04	-192.87	-297.47
अन्तिम शेष	-254.59	-297.48	-550.30

13. नवीन व्यय -

क्रमांक	मद	राशि (करोड़ रूपये में)		
		आयोजना	आयोजनेत्तर	योग
1.	राजस्व	163.08	32.79	195.87
2.	पूंजी	97.83	0.00	97.83
	योग	260.91	32.79	293.70

14. राज्य शासन की ऋण स्थिति -

मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 44 के तहत अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के लोक ऋण का प्रभाजन उत्तरवर्ती राज्यों में भारत शासन द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अनुशंसा पर किया जाना है। अभी तक भारत सरकार द्वारा जिन ऋणों का प्रावधिक प्रभाजन किया गया है उसके अनुसार दिनांक 31 मार्च 2002 की स्थिति में अदेय ऋणों की स्थिति निम्नानुसार है। शेष ऋणों का प्रभाजन होना शेष है।

क्रमांक	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
(क)	आयोजना भिन्न ऋण	
1.	अल्प बचत ऋण	884.41
2.	पुलिस बल आधुनिकीकरण हेतु ऋण	15.58
(ब)	आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋण	
1.	एकमुश्त ऋण (ब्लॉक ऋण)	1912.66
2.	दैवीय विपत्तियों के संबंध में ऋण	0.60
3.	नौवे वित्त आयोग के समेकित ऋण	53.07
4.	सातवें वित्त आयोग के समेकित ऋण	34.96
5.	आठवें वित्त आयोग के समेकित ऋण	70.62
(स)	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	
1.	बाजार ऋण	1396.43
2.	अल्प बचत संग्रहणों का हिस्सा	958.70
3.	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	105.57
4.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	25.13
	योग	5457.73

15. मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 52 के तहत बैंक गारंटी का प्रभाजन उस राज्य को होगा जिसके क्षेत्र में वह सोसायटी/व्यक्ति है, जिसके लिये प्रत्याभूति दी गई है । किसी अन्य दशा में, प्रारम्भ में प्रत्याभूतियां उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य की होगी, जिन्हें दोनों राज्यों के आपसी सहमति से अथवा उसके अभाव में केन्द्र सरकार के आदेश द्वारा दो उत्तरवर्ती राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा । म.प्र. राज्य पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 52(अ) के तहत प्रत्याभूतियों का प्रावधिक प्रभाजन महालेखाकार द्वारा किया गया है, उसके अनुसार राज्य शासन के हिस्से की प्रत्याभूति दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 की स्थिति में निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	संयुक्त स्टाक कम्पनी के पक्ष में	0.09
2	सहकारिता बैंक तथा सोसायटी के पक्ष में	4.34
3	नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में	32.25
योग		36.58

शेष प्रत्याभूतियों का प्रभाजन म.प्र. राज्य पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 52(ब)के तहत किया जाना है ।

16. म.प्र. राज्य पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 42 के तहत अविभाजित म. प्र. राज्य की संचित निधि से किये गये विनियोगों से सृजित आरक्षित निधियों के अतिशेष का उस सीमा तक, जहां तक अतिशेषों का विनिधान सरकारी लेखे से बाहर नहीं किया गया है, उत्तरवर्ती राज्यों के लोक लेखा में वैसे ही आरक्षित निधियों में नहीं किया जायेगा । महालेखाकार द्वारा म.प्र. राज्य पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 42 (1) के तीसरे परंतुक के अनुसार दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच ऐसी आरक्षित निधियां जिनका विनिधान सरकारी लेखे से बाहर किया गया है, का प्रावधिक प्रभाजन किया गया है । इसके अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के हिस्से की शासकीय प्रतिभूति निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	अकाल राहत निधि विनिवेश लेखा	0.69
2	राजस्व आरक्षित निधि विनिवेश लेखा	4.31
3	कृषि हेतु विकास निधि से विनिवेश लेखा	0.05
4	अन्य निधि विनिवेश लेखा	0.01
5	रोकड़ शेष विनिवेश लेखा	2.02
योग		7.08

17. बजट अनुमान 2002-03 में मुख्यतः राज्य आयोजना में 31 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय में लगभग 39 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। आयोजनेत्तर व्यय में धान उपार्जन से होने वाली संभावित क्षति पर व्यय को छोड़कर नियंत्रित सामान्य वृद्धि की गयी है, यह वृद्धि वेतन पर लगभग 15 प्रतिशत, मजदूरी पर 5 प्रतिशत तथा ब्याज भुगतान में लगभग 5.6 प्रतिशत की है। मजदूरी मद और ब्याज भुगतान मद में प्रतिशत वृद्धि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में निर्धारित किये गये लक्ष्य की सीमा में है। वेतन में अधिक प्रावधान विभाजन के फलस्वरूप आने वाले कर्मचारियों एवं नई संरचना में स्वीकृत होने वाले पदों को ध्यान में रख कर किया गया है। सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में सिंचाई में लगभग 73 प्रतिशत तथा सड़क निर्माण में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य में लगभग 10 प्रतिशत तथा शिक्षा में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

18. आयोजनागत प्रावधानों की विस्तृत जानकारी के लिए आवश्यक परिशिष्ट संलग्न किये गये हैं।

रायपुर
दिनांक 14 फरवरी, 2002

(एस.के. मिश्रा)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

परिशिष्ट - क
अर्थोपाय अनुमान 2002-2003

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2000-2001 लेखा (5 माह)	2001-2002 बजट अनुमान	2001-2002 पुनरीक्षित अनुमान	2002-2003 बजट अनुमान
प्रारंभिक शेष	0.00	-87.04	-192.87	-297.47
वर्ष के लेन देन				
राजस्व आधिक्य / कमी	321.57	-379.37	-366.61	-495.54
पूंजी व्यय	-220.51	-575.94	-663.86	-919.75
लोक ऋण (शुद्ध)	158.33	720.93	758.92	973.54
राज्य शासन द्वारा ऋण (शुद्ध)	-43.02	-55.32	-39.31	-35.26
आकस्मिकता निधि में विनियोजन	40.00	0.00	0.00	0.00
आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	-52.18	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा (शुद्ध)				
भविष्य निधि, आदि	2.35	265.89	169.62	117.86
आरक्षित निधि	49.44	0.02	0.01	0.01
जमा तथा अग्रिम	36.4	-138.69	10.76	78.96
उच्चन्त तथा विविध	-411.38	-5.08	13.86	11.98
प्रेषण	-73.87	0.00	12.00	15.37
	-397.06	122.14	206.25	224.18
वर्ष के शुद्ध लेन देन	-192.87	-167.56	-104.61	-252.83
अन्तिम शेष	-192.87	-254.60	-297.48	-550.30